

भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

| | |
|---------|--|
| सं. 04] | नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 23, 2018/वैशाख 3, 1940 |
| No. 04] | NEW DELHI, MONDAY, APRIL 23, 2018/VAISAKHA 3, 1940 |

रक्षा मंत्रालय
अधिसूचना
नई दिल्ली, 23 अप्रैल, 2018

का.नि.आ. 04(अ).—केन्द्रीय सरकार, सशस्त्र बल अधिकरण अधिनियम, 2007 (2007 का 55) की धारा 41 की उपधारा (2) के खण्ड (ड.) के साथ पठित धारा 13 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रक्षा मंत्रालय, सशस्त्र बल अधिकरण में समूह 'क' पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है,

अर्थात् :-

2341 GI/2018

(1)

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—**(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सशस्त्र बल अधिकरण, (समूह 'क' पद) भर्ती नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—**उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि.—**उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.—**वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.—**जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.—**इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, **अन्य पिछड़े वर्गों**, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

| पद का नाम | पद संख्या | वर्गीकरण | वेतन मैट्रिक्स में स्तर | चयन या अचयन पद | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी | परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो | भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता |
|----------------------|--|---|-------------------------------|----------------|---|--|--|-------------------------------|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| 1. प्रधान रजिस्ट्रार | 01* (2018) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। | साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय | स्तर 14 (रु.144200-218200) | चयन | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | प्रोन्नति, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी हैं।) |

| | | |
|---|--|---|
| प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा | यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना | भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा |
| (11) | (12) | (13) |
| प्रोन्नति: सशस्त्र बल अधिकरण की किसी भी पीठ में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-13 में ऐसे रजिस्ट्रार जिन्होंने उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की है और मंत्रालय द्वारा विहित संस्थान से प्रशासनिक या न्यायिक या वित्तीय मामलों में दो सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक अर्हित किया हो। टिप्पणी: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक / पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो जहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, | समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- (1) अध्यक्ष, सशस्त्र बल अधिकरण —अध्यक्ष (2) न्यायिक/प्रशासनिक—सदस्य, | लागू नहीं होता। |

| | | |
|---|--|--|
| <p>इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक / पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p>प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) :</p> <p>केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या जिला न्यायालय या कानूनी / स्वायत्त निकायों में पेंशन फायदा लेने वाले ऐसे अधिकारी:</p> <p>(क) (i) जो मूल कांडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या</p> <p>(ii) जिन्होंने मूल कांडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-13 में उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की है ;</p> <p>(ख) जिसके पास कार्मिक और प्रशासनिक या न्यायिक कार्य में पंद्रह वर्ष का अनुभव है ; और</p> <p>(ग) जिसके पास किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में डिग्री है।</p> <p>टिप्पणी 1 : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे, इसी प्रकार, सशस्त्र बल अधिकरण में प्रतिनियुक्त व्यक्ति, प्रोन्नति प्रणाली द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p>टिप्पणी 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है), जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य कांडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 4 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> | <p>सशस्त्र बल अधिकरण —सदस्य</p> <p>(3) रक्षा मंत्रालय में सशस्त्र बल अधिकरण का भार साधक अपर सचिव — सदस्य</p> | |
|---|--|--|

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
|------------------|---|---|-----------------------------------|-----|----------------|----------------|----------------|----------------|--|
| 2. रजिस्ट्रार | 10* (2018) कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। | साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अननुसन्धिवीय | स्तर 13 (रु.118500-214100 रु.) | चयन | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | 20 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है), और 80 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) |

| (11) | (12) | (13) |
|---|---|------------------------|
| <p>प्रोन्नति: सशस्त्र बल अधिकरण की किसी भी पीठ में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-12 में ऐसे संयुक्त रजिस्ट्रार जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है और मंत्रालय द्वारा विहित संस्थान से प्रशासनिक या न्यायिक या वित्तीय मामलों में दो सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक अर्हित किया हो।</p> <p>टिप्पणी: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक / पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो जहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक / पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p>प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) : केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या जिला न्यायालय या कानूनी / स्वायत्त निकायों में पेंशन फायदा लेने वाले या सेना, नौसेना और वायु सेना तथा अन्य इसी प्रकार के संस्थाओं के जज ऐडवोकेट जनरल शाखा के ऐसे अधिकारी:</p> <p>(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या</p> <p>(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-12 में पांच वर्ष नियमित सेवा की है ; और</p> <p>(ख) जिसके पास किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में डिग्री है।</p> <p>टिप्पणी 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे, इसी प्रकार, सशस्त्र बल अधिकरण में प्रतिनियुक्त व्यक्ति, प्रोन्नति प्रणाली द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p>टिप्पणी 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है), जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 4 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> | <p>समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है।) के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. अध्यक्ष, सशस्त्र बल अधिकरण —अध्यक्ष 2. न्यायिक/प्रशासनिक सदस्य, सशस्त्र बल अधिकरण —सदस्य 3. रक्षा मंत्रालय में सशस्त्र बल अधिकरण का भार साधक सुयुक्त सचिव —सदस्य | <p>लागू नहीं होता।</p> |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
|-----------------------|---|---|-------------------------------|-----|----------------|----------------|----------------|----------------|---|
| 3. संयुक्त रजिस्ट्रार | 03* (2018) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। | साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय | स्तर 12 (रु.78800-209200 रु.) | चयन | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | प्रोन्नति, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) |

| (11) | (12) | (13) |
|--|---|------------------------|
| <p>प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स में स्तर-11 में ऐसे उप रजिस्ट्रार या उप निदेशक (प्रलेखीकरण) जिनके पास विधि में डिग्री है जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है और मंत्रालय द्वारा विहित संस्थान से प्रशासनिक या न्यायिक या वित्तीय मामलों में दो सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो।</p> <p>टिप्पणी: प्रोन्नति के लिए पात्रता सूची, अधिकारी द्वारा संबंधित श्रेणी या परस्पर ज्येष्ठता पद के अनुरक्षण के अध्यक्षीन पद में विहित अर्हक सेवा पूरी करने की तारीख के संदर्भ में तैयार की जाएगी।</p> <p>प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) : केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या जिला न्यायालय या कानूनी / स्वायत्त निकायों में पेंशन फायदा लेने वाले ऐसे अधिकारी जिनके पास विधि में डिग्री है:-</p> <p>(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या</p> <p>(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-11 में पांच वर्ष नियमित सेवा की है; और</p> <p>(ख) जिसके पास कार्मिक और प्रशासनिक या न्यायिक कार्य में दस वर्ष का अनुभव है।</p> <p>टिप्पणी 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे, इसी प्रकार,</p> | <p>समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. अध्यक्ष, सशस्त्र बल अधिकरण —अध्यक्ष 2. न्यायिक/प्रशासनिक सदस्य, सशस्त्र बल अधिकरण —सदस्य 3. रक्षा मंत्रालय में सशस्त्र बल अधिकरण का भार साधक संयुक्त सचिव —सदस्य | <p>लागू नहीं होता।</p> |

| | | |
|---|--|--|
| सशस्त्र बल अधिकरण में प्रतिनियुक्त व्यक्ति, प्रोन्नति प्रणाली द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। टिप्पणी 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है), जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 4 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी। | | |
|---|--|--|

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
|--|---|--|--------------------------------|-----|----------------|---|----------------|-----------------|---|
| 4. ज्येष्ठ प्रधान निजी सचिव | 01* (2018) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। | साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अनुसचिवीय | स्तर 12 (रु. 78800-209200 रु.) | चयन | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | प्रोन्नति, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) |
| (11) | | | | | | (12) | | (13) | |
| प्रोन्नति: सशस्त्र बल अधिकरण में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-11 में ऐसे प्रधान निजी सचिव जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है और मंत्रालय द्वारा विहित संस्थान से प्रशासनिक या सचिवालयिक मामलों में दो सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो। टिप्पणी: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक / पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो जहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक / पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा | | | | | | समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1. अध्यक्ष, सशस्त्र बल अधिकरण —अध्यक्ष 2. न्यायिक/प्रशासनिक सदस्य, सशस्त्र बल अधिकरण—सदस्य | | लागू नहीं होता। | |

| | | |
|--|---|--|
| <p>की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p>प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) :</p> <p>केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या जिला न्यायालय या कानूनी / स्वायत्त निकायों में पेंशन फायदा लेने वाले ऐसे आशुलिपिक :-</p> <p>(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या</p> <p>(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-11 में पांच वर्ष नियमित सेवा की है</p> <p>वांछनीय : किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में डिग्री।</p> <p>टिप्पणी 1 : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे, इसी प्रकार, सशस्त्र बल अधिकरण में प्रतिनियुक्त व्यक्ति, प्रोन्नति प्रणाली द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p>टिप्पणी 2 : प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है), जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर ब्राह्म पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 4 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> | <p>3. रक्षा मंत्रालय में सशस्त्र बल अधिकरण का भार साधकनिदेशक / उप सचिव –सदस्य</p> | |
|--|---|--|

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
|------------------|---|---|--------------------------------|-----|----------------|----------------|----------------|--|---|
| 5. उप रजिस्ट्रार | 16* (2018) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। | साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय | स्तर 11 (रु. 67700-208700 रु.) | चयन | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | प्रोन्नत किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष | प्रोन्नति, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) |

| (11) | (12) | (13) |
|---|---|------------------------|
| <p>प्रोन्नति: सशस्त्र बल अधिकरण में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7 में ऐसे अनुभाग अधिकारी या अधिकरण अधिकारी जिन्होंने संबंधित श्रेणी में सात वर्ष नियमित सेवा की है और मंत्रालय द्वारा विहित संस्थान से प्रशासनिक या न्यायिक या वित्तीय मामलों में दो सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो।</p> <p>टिप्पणी: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक / पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो जहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक / पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p>प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) : केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या जिला न्यायालय या कानूनी / स्वायत्त निकायों में पेंशन फायदा लेने वाले ऐसे अधिकारी:</p> <p>(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या</p> <p>(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-10 में पांच वर्ष नियमित सेवा की है; या</p> <p>(iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-8 में छह वर्ष नियमित सेवा की है; या</p> <p>(iv) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7 में सात वर्ष नियमित सेवा की है; और</p> <p>(ख) जिसके पास कार्मिक और प्रशासनिक या न्यायिक कार्य में पांच वर्ष का अनुभव है।</p> <p>वांछनीय : जिसके पास किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में डिग्री है।</p> <p>टिप्पणी 1 : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे, इसी प्रकार, सशस्त्र बल अधिकरण में प्रतिनियुक्त व्यक्ति, प्रोन्नति प्रणाली द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र</p> | <p>समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. अध्यक्ष, सशस्त्र बल अधिकरण —अध्यक्ष 2. न्यायिक/प्रशासनिक सदस्य, सशस्त्र बल अधिकरण —सदस्य 3. रक्षा मंत्रालय में सशस्त्र बल अधिकरण का भार साधकनिदेशक / उप सचिव —सदस्य | <p>लागू नहीं होता।</p> |

| | | |
|--|--|--|
| <p>नहीं होंगे।</p> <p>टिप्पणी 2 : प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है), जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> | | |
|--|--|--|

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
|---------------------------|---|---|--------------------------------|-----|----------------|----------------|----------------|--|---|
| 6. उप निदेशक (प्रलेखीकरण) | 01* (2018) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। | साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय | स्तर 11 (रु. 67700-208700 रु.) | चयन | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | प्रोन्नत किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष | प्रोन्नति, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) |

| (11) | (12) | (13) |
|---|---|------------------------|
| <p>प्रोन्नति:</p> <p>सशस्त्र बल अधिकरण में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7 में ऐसे अनुभाग अधिकारी या अधिकरण अधिकारी जिन्होंने संबंधित श्रेणी में सात वर्ष नियमित सेवा की है और पुस्तकालय और पुस्तकालय विज्ञान में दो सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो।</p> <p>टिप्पणी: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक / पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो जहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक / पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> | <p>समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. अध्यक्ष, सशस्त्र बल अधिकरण —अध्यक्ष 2. न्यायिक/प्रशासनिक सदस्य, सशस्त्र बल अधिकरण —सदस्य 3. रक्षा मंत्रालय में सशस्त्र बल अधिकरण का भार साधक | <p>लागू नहीं होता।</p> |

| | | |
|--|-------------------------------|--|
| <p>प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) :</p> <p>केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या जिला न्यायालय या कानूनी / स्वायत्त निकायों में पेंशन फायदा लेने वाले ऐसे अधिकारी:</p> <p>(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या</p> <p>(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-10 में पांच वर्ष नियमित सेवा की है ; या</p> <p>(iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-8 में छह वर्ष नियमित सेवा की है ; या</p> <p>(iv) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7 में सात वर्ष नियमित सेवा की है ; और</p> <p>(ख) (i) जिसके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं हैं, अर्थात : आवश्यक: किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री या समतुल्य । वांछनीय : विधि में डिग्री ; और</p> <p>(ii) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या स्वायत्त या कानूनी संगठन या पब्लिक सेक्टर इकाई या विश्वविद्यालय या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थान या शैक्षिक संस्था के अधीन पुस्तकालय में पांच वर्ष का वृत्तिक अनुभव है ।</p> <p>टिप्पणी 1 : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे, इसी प्रकार, सशस्त्र बल अधिकरण में प्रतिनियुक्त व्यक्ति, प्रोन्नति प्रणाली द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे ।</p> <p>टिप्पणी 2 : प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है), जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।</p> | <p>निदेशक। उप सचिव —सदस्य</p> | |
|--|-------------------------------|--|

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
|---------------------|---|--|--------------------------------|-----|----------------|----------------|----------------|--|---|
| 7. प्रधान निजी सचिव | 34* (2018) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। | साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अनुसचिवीय | स्तर 11 (रु. 67100-208700 रु.) | चयन | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | प्रोन्नत किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष | 25 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) और 75 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है।) या आमेलन |

| (11) | (12) | (13) |
|---|--|------------------------|
| <p>प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7 में ऐसे निजी सचिव जिन्होंने उस श्रेणी में सात वर्ष नियमित सेवा की है और मंत्रालय द्वारा विहित संस्थान से प्रशासनिक या सचिवालयिक मामलों में दो सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो।</p> <p>टिप्पणी: 1. जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक / पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो जहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक / पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p>टिप्पणी: 2. प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) / आमेलन :- केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या जिला न्यायालय या कानूनी / स्वायत्त निकायों में पेंशन फायदा लेने वाले ऐसे आशुलिपिक :-</p> <p>(क) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या</p> <p>(ख) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-8 में छह वर्ष नियमित सेवा की है; या</p> <p>(ग) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7 में सात वर्ष नियमित सेवा की है।</p> <p>बांछनीय : कम्प्यूटर प्रचालन में जानकारी।</p> | <p>समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नतिके संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. अध्यक्ष, सशस्त्र बल अधिकरण —अध्यक्ष 2. न्यायिक/प्रशासनिक सदस्य, जिसे अध्यक्ष, सशस्त्र बल अधिकरण द्वारा नाम निर्देशित किया गया है —सदस्य 3. रक्षा मंत्रालय में सशस्त्र बल अधिकरण का भार साधकनिदेशक / उप सचिव —सदस्य <p>समूह 'क' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. अध्यक्ष, सशस्त्र बल अधिकरण —अध्यक्ष 2. न्यायिक / प्रशासनिक सदस्य, जिसे अध्यक्ष, सशस्त्र बल अधिकरण द्वारा नामनिर्देशित किया गया है —सदस्य | <p>लागू नहीं होता।</p> |

| | | |
|--|---|--|
| <p>टिप्पणी 3 : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे, इसी प्रकार, सशस्त्र बल अधिकरण में प्रतिनियुक्त व्यक्ति, प्रोन्नति प्रणाली द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p>टिप्पणी 4 : प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है), जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> | <p>3. रक्षा मंत्रालय में सशस्त्र बल अधिकरण का भार साधक निदेशक / उप सचिव - सदस्य</p> | |
|--|---|--|

[फा.सं. 4(1)/2010-डी (ए.एफ.टी.सी)]

एम. सुब्बारायन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 23rd April, 2018

S.R.O. 04(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 13 read with clause (e) of sub-section (2) of section 41 of the Armed Forces Tribunal Act, 2007 (55 of 2007), the Central Government hereby makes the following rules, regulating the method of recruitment to Group 'A' posts in the Armed Forces Tribunal, Ministry of Defence, namely:-

1. Short title and commencement.-- (1) These rules may be called the Armed Forces Tribunal (Group-A posts) Recruitment Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification, level in pay matrix.- The number of the said posts, their classification, and the level in pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Methods of recruitment, age-limit, qualifications, etc.- The method of recruitment to the said posts, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. Disqualification. - No person, —

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted marriage with any other person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied, that such marriage is permissible under the personal law applicable to such persons and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

4. **Power to relax.** - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.** - Nothing in these rules shall affect reservations, relaxations of age-limits and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

| Name of post | Number of posts | Classification | Level in the Pay Matrix | Whether selection post or non-selection post | Age-limit for direct recruits | Educational and other qualifications required for direct recruits | Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees. | Period of probation, if any | Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation (Including Short Term Contract) or absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods |
|-------------------------------|--|---|---------------------------------|--|-------------------------------|---|--|-----------------------------|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| 1. Principal Registrar | 01* (2018) *Subject to variation dependent on workload | General Central Service, Group A, Gazetted, Non-Ministerial | Level 14 (Rs. 144200-218200) | Selection | Not applicable | Not applicable | Not applicable | Not applicable | Promotion , failing which by deputation (Including Short Term Contract) |

| In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grades from which promotion or deputation or absorption to be made. | If a departmental promotion committee exists, what is its composition | Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment |
|--|---|---|
| (11) | (12) | (13) |
| Promotion: Registrar in level 13 of the pay matrix in any Bench of the Armed Forces Tribunal with three years regular service in the grade, and having successfully qualified two weeks training in Administrative or Judicial or Financial matters from the institute to be prescribed by the Ministry. Note.- Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. | Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion consisting of: - (1) Chairperson, Armed Forces Tribunal - Chairman; (2) | Not applicable. |

| | | |
|---|---|--|
| <p>Deputation (Including Short Term Contract): Officers in Central Government or State Government or Supreme Court or High Court or District Court or Statutory / Autonomous bodies having pensionary benefits:</p> <p>(a) (i) holding analogous post on regular basis in parent cadre or Department; or (ii) posts in the level 13 of the pay matrix with three years regular service in the grade in the parent cadre or Department; (b) having fifteen years of experience in personnel and administrative or judicial work; and (c) holding a degree in law from a recognized university.</p> <p>Note 1 : The departmental officers in the feeder grade who are in direct line of promotion, shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, a deputationist in the Armed Forces Tribunal shall not be eligible for consideration for appointment by promotion channel.</p> <p>Note 2 : The period of deputation including period of deputation (Including Short Term Contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or Department of the Central Government shall not ordinarily exceed four years. The maximum age limit for appointment by deputation shall not exceed 56 years as on the closing date of receipt of application.</p> | <p>Judicial/Administrative Member Armed Forces Tribunal— Member; (3) Additional Secretary in charge of Armed Forces Tribunal in the Ministry of Defence – Member.</p> | |
|---|---|--|

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
|--|---|--|--------------------------------|-----------|----------------|----------------|---|----------------|---|
| 2. Registrar | 10 * (2018) *Subject to variation dependent on workload | General Central Service, Group `A`, Gazetted, Non-Ministerial. | Level 13 (Rs.118500-214100) | Selection | Not applicable | Not applicable | Not applicable | Not applicable | 20% by promotion, failing which by deputation (Including Short Term Contract), and 80% by deputation (Including Short Term Contract). |
| (11) | | | | | | | (12) | | (13) |
| <p>Promotion: - Joint Registrar in level 12 of the pay matrix in any Bench of the Armed Forces Tribunal with five years regular service in the grade and having successfully completed two weeks training in Administrative or Judicial or Financial matters from the institute to be prescribed by the Ministry.</p> <p>Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>Deputation (Including Short Term Contract): - Officers of Central Government or State Government or Supreme Court or High Court or District Court or Statutory / Autonomous bodies having pensionary benefits or Judge Advocate General Branch of Army, Navy and Air Force and other similar institutions: (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) five years regular service in the parent cadre or Department in the Level 12 of the pay matrix; and (b) holding degree in law from a recognized university.</p> | | | | | | | <p>Group `A` Departmental Promotion Committee (for considering promotion/deputation (Including Short Term Contract) consisting of:</p> <p>(1) Chairperson, Armed Forces Tribunal – Chairman; (2) Judicial/Administrative Member Armed Forces Tribunal – Member; (3) Joint Secretary in-charge of Armed Forces Tribunal in the Ministry of Defence- Member.</p> | | Not applicable. |

| | | |
|---|--|--|
| <p>Note 1 : The departmental officers in the feeder grade who are in direct line of promotion, shall not be eligible for consideration for appointment on deputation (Including Short Term Contract). Similarly, a deputationist in the Armed Forces Tribunal shall not be eligible for consideration for appointment by promotion channel.</p> <p>Note 2 : The period of deputation including period of deputation (Including Short Term Contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or Department of the Central Government shall not ordinarily exceed four years. The maximum age limit for appointment by deputation shall not exceed 56 years as on the closing date of receipt of application.</p> | | |
|---|--|--|

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
|---|--|--|-----------------------------|-----------|----------------|----------------|---|----------------|---|
| 3. Joint Registrar | 03* (2018) *Subject to variation dependent on workload. | General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial. | Level 12 (Rs. 78800-209200) | Selection | Not applicable | Not applicable | Not applicable | Not applicable | Promotion , failing which by deputation (Including Short Term Contract). |
| (11) | | | | | | | (12) | | (13) |
| <p>Promotion:- Deputy Registrar or Deputy Director(Documentations) in the level 11 of the pay matrix possessing degree in Law with five years regular service in the grade and having successfully completed two weeks training in the Administrative or Judicial or Financial matters from the institute to be prescribed by the Ministry.</p> <p>Note: The eligibility list for promotion shall be prepared with reference to the date of completion by the officers of prescribed qualifying service in respective grade or post subject to maintaining the respective grade or post inter-se seniority.</p> <p>Deputation (Including Short Term Contract):- Officers of the Central Government or State Government or Supreme Court or High Court or District Courts or Statutory / Autonomous bodies having pensionary benefits possessing a degree in law: (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) five years regular service in the parent cadre or Department in a post in level 11 of the pay matrix; and (b) having ten years of experience in personnel and Administrative or Judicial works</p> <p>Note 1 : The departmental officers in the feeder grade who are in direct line of promotion, shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, a deputationist in the Armed Forces Tribunal shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p>Note 2 : The period of deputation including period of deputation (Including Short Term Contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisations or Department of the Central Government shall not ordinarily exceed four years. The maximum age limit for appointment by deputation shall not exceed 56 years as on the closing date of receipt of application.</p> | | | | | | | <p>Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:</p> <p>(1) Chairperson, Armed Forces Tribunal - Chairman; (2) Judicial/Administrative Member Armed Forces Tribunal – Member; (3) Joint Secretary in charge of Armed Forces Tribunal in the Ministry of Defence- Member.</p> | | Not applicable. |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
|---|--|--|-----------------------------|-----------|----------------|----------------|--|----------------|---|
| 4. Senior Principal Private Secretary | 01* (2018) *Subject to variation dependent on workload. | General Central Service, Group 'A', (Gazetted) (Ministerial) | Level 12 (Rs. 78800-209200) | Selection | Not applicable | Not applicable | Not applicable | Not applicable | Promotion , failing which by deputation (Including Short Term Contract). |
| (11) | | | | | | | (12) | | (13) |
| Promotion:- Principal Private Secretary in level 11 of the pay matrix in the Armed Forces Tribunal with five years regular service in the grade and having successfully completed two weeks training in Administrative or Secretarial matters from the institute to be prescribed by the Ministry. Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Deputation (Including Short Term Contract): - Stenographers of the Central Government or State Government or Supreme Court or High Court or District Courts or Statutory / Autonomous bodies having pensionary benefits: (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years regular service in the parent cadre or department in post in level 11 of the pay matrix. Desirable: Degree in Law from a recognized University. Note 1 : The Departmental officers in the feeder grade who are in the direct line of promotion, shall not be eligible for consideration for appointment on deputation (Including Short Term Contract). Similarly, a deputationist in the Armed Forces Tribunal shall not be eligible for consideration for promotion. Note 2 : The period of deputation including the period of deputation (Including Short Term Contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed four years. The maximum age limit for appointment by deputation shall not exceed 56 years as on the closing date of receipt of application. | | | | | | | Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of: (1) Chairperson, Armed Forces Tribunal Chairman; (2) Judicial/Administrative Member Armed Forces Tribunal - Member; (3) Director/Deputy Secretary in charge of Armed Forces Tribunal in the Ministry of Defence- Member. | | Not applicable. |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
|--|--|--|-----------------------------|-----------|----------------|----------------|---|--------------------------|---|
| 5. Deputy Registrar | 16* (2018) *Subject to variation dependent on workload. | General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial. | Level 11 (Rs. 67700-208700) | Selection | Not applicable | Not applicable | Not applicable | Two years for promotees. | Promotion , failing which by deputation (Including Short Term Contract). |
| (11) | | | | | | | (12) | | (13) |
| Promotion: - Section Officers or Tribunal Officers in the Armed Forces Tribunal in level 7 of the pay matrix with seven years regular service | | | | | | | Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering | | Not applicable. |

| | | |
|--|--|--|
| <p>in the respective grade and having successfully completed two weeks training in Administrative or Judicial or Financial matters from the institute to be prescribed by the Ministry.</p> <p>Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>Deputation (Including Short Term Contract): - Officers of the Central Government or State Government or Supreme Court or High Court or District Courts or Statutory / Autonomous bodies having pensionary benefits: (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) with five years regular service in the parent cadre or Department in post in level 10 of the pay Matrix; or (iii) with six years regular service in the parent cadre or Department in post in level 8 of the pay matrix ; or (iv) with Seven years regular service in the parent cadre or Department in post in level 7 of the pay matrix; and (b) having five years of experience in personnel and Administrative or Judicial work.</p> <p>Desirable: Possessing a degree in law from a recognised University.</p> <p>Note 1 : The departmental officers in the feeder grade who are in direct line of promotion, shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, a deputationist in the Armed Forces Tribunal shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p>Note 2 : The period of deputation including period of deputation (Including Short Term Contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or Department of the Central Government shall not ordinarily exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall not exceed 56 years as on the closing date of receipt of application.</p> | <p>promotion) consisting of: (1) Chairperson, Armed Forces Tribunal – Chairman; (2) Judicial/Administrative Member Armed Forces Tribunal –Member; (3) Director/Deputy Secretary in charge of Armed Forces Tribunal in the Ministry of Defence- Member.</p> | |
|--|--|--|

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
|--|---|---|-----------------------------|-----------|----------------|----------------|---|-------------------------|--|
| 6. Deputy Director (Documentation) | 01* (2018) *Subject to variation dependent on workload | General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial | Level 11 (Rs. 67700-208700) | Selection | Not applicable | Not applicable | Not applicable | Two years for promotees | Promotion , failing which by deputation (Including Short Term Contract) |
| (11) | | | | | | | (12) | | (13) |
| Promotion: Section Officers or Tribunal Officers in the Armed Forces Tribunal in level 7 of the Pay Matrix with seven years regular service in the respective grade and having successfully completed Two weeks training in library and library science. Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such | | | | | | | Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of: - (1) Chairperson, Armed Forces Tribunal - Chairman; (2) Judicial/Administrative Member | | Not applicable. |

| | | |
|--|---|--|
| <p>qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>Deputation (Including Short Term Contract): -</p> <p>Officers under Central Government or State Government or Supreme Court or High Court or District Courts or Statutory / Autonomous bodies having pensionary benefits:</p> <p>(a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department: or</p> <p>(ii) with five years regular service in the parent cadre or Department in posts in level 10 of the pay matrix; or</p> <p>(iii) with Six years regular service in the parent cadre or Department in posts in level 8 of the pay matrix; or</p> <p>(iv) with Seven years regular service in the parent cadre or Department in posts in level 7 of the pay matrix: and</p> <p>(b) (i) possessing the following educational, qualifications, namely:</p> <p>Essential: Degree of a recognised University or equivalent.</p> <p>Desirable : Degree in Law: and</p> <p>(ii) Having five years' professional experience in a library under Central Government or State Government or Autonomous or Statutory organisation or Public Sector Unit or University or recognised research institution or educational institution.</p> <p>Note 1: The departmental officers in the feeder grade who are in direct line of promotion, shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, a deputationist in the Armed Forces Tribunal shall not be eligible for consideration for appointment by promotion channel.</p> <p>Note 2: The period of deputation including period of deputation (Including Short Term Contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or Department of the Central Government shall not ordinarily exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall not exceed 56 yrs as on the closing date of receipt of application.</p> | <p>Armed Forces Tribunal - Member;</p> <p>(3) Director/Dy. Secretary in charge of Armed Forces Tribunal in the Ministry of Defence- Member.</p> | |
|--|---|--|

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
|---|--|---|------------------------------------|-----------|-------------------|-------------------|--|-------------------------|---|
| 7. Principal Private Secretary | 34* (2018) * Subject to variation dependent on workload. | General Central Service, Group ‘A’, Gazetted Ministerial | Level 11 (Rs. 67100- 208700) | Selection | Not applicable | Not applicable | Not applicable | Two years for promotees | 25% by promotion failing which by deputation (Including Short Term Contract) and 75% by deputation (Including Short Term Contract) or absorption. |
| (11) | | | | | | | (12) | | (13) |
| Promotion:- Private Secretary in level 7 of the pay matrix with seven years regular service in the grade and having successfully | | | | | | | Group ‘A’ Committee (for Departmental considering promotion) | | Not applicable. |

| | | |
|---|--|--|
| <p>completed two weeks training in administrative or secretarial matters from the institute to be prescribed by the Ministry.</p> <p>Note 1 : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>Note 2 : Deputation (Including Short Term Contract)/absorption:- Stenographers in Central Government or State Government or Supreme Court or High Court or District Courts or Statutory / Autonomous bodies having pensionary benefits:</p> <p>(a) holding analogous post on regular basis in the parent cadre of department; or (b) with six years regular service in the parent cadre or Department in posts in level 8 of the pay matrix; or (c) with seven years in regular service in the parent cadre or Department in posts in level 7 of the pay matrix.</p> <p>Desirable: Knowledge in computer operation.</p> <p>Note 3 : The Departmental officers in the feeder grade who are in the direct line of promotion, shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, a deputationist in the Armed Forces Tribunal shall not be eligible for consideration for promotion.</p> <p>Note 4 : The period of deputation including the period of deputation (Including Short Term Contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall not exceed 56 years as on the closing date of receipt of application.</p> | <p>consisting of: - (1) Chairperson, Armed Forces Tribunal – Chairman; (2) Judicial/Administrative Member, to be nominated by the Chairperson, Armed Forces Tribunal – Member; (3) Director/Deputy Secretary in charge of Armed Forces Tribunal in the Ministry of Defence- Member.</p> <p>Group 'A' Departmental Confirmation Committee (for confirmation) consisting of: (1) Chairperson, Armed Forces Tribunal – Chairman; (2) Judicial/Administrative Member, to be nominated by the Chairperson, Armed Forces Tribunal – Member; (3) Director/Deputy Secretary in charge of Armed Forces Tribunal in the Ministry of Defence- Member.</p> | |
|---|--|--|

[F. No. 4(1)/2010-D(AFTC)]

M SUBBARAYAN, Jt. Secy.

रक्षा मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 अप्रैल, 2018

का.नि.आ.05(अ).—केन्द्रीय सरकार, सशस्त्र बल अधिकरण अधिनियम, 2007(2007 का 55) की धारा 41 की उपधारा (2) के खण्ड (ड.) के साथ पठित धारा 13 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रक्षा मंत्रालय, सशस्त्र बल अधिकरण में समूह 'ख' पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ: (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सशस्त्र बल अधिकरण, (समूह 'ख' राजपत्रित और अराजपत्रित पद) भर्ती नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता**—वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

| पद का नाम | पद संख्या | वर्गीकरण | वेतन मैट्रिक्स में स्तर | चयन या अचयन पद | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी | परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो | भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की |
|-----------|-----------|----------|-------------------------|----------------|---|--|--|-------------------------------|---|
|-----------|-----------|----------|-------------------------|----------------|---|--|--|-------------------------------|---|

| | | | | | | | | | प्रतिशतता |
|------------------------------------|---|---|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| 1.सहायक रजिस्ट्रार (नयाचार) | 01* (2018) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। | साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' राजपत्रित, अननुसचिवीय | स्तर- 9 (रु.53100-167800 रु.) | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)। |

| प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेदन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेदन किया जाएगा। | यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना | भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा |
|--|--|---|
| (11) | (12) | (13) |
| <p>प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) :</p> <p>केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या अधीनस्थ न्यायालय या कानूनी / स्वायत्त निकायों के अधीन कार्यरत पेंशन फायदा लेने वाले ऐसे अधिकारी:</p> <p>(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या</p> <p>(ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर-8, (47600-151100 रु.) में उस श्रेणी में दो वर्ष नियमित सेवा की है; या</p> <p>(iii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर – 7, (44900-142400 रु.) में उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की है; और</p> <p>(ख) आवश्यक: जो निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हैं; अर्थात्</p> <p>(i) किसी मान्यताप्राप्त की डिग्री या समतुल्य; और</p> <p>(ii) नयाचार संबंधी कार्य में दो वर्ष का अनुभव।</p> | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता। |

| | | |
|--|--|--|
| <p>वांछनीय : विधि में डिग्री और नयाचार कार्य में अनुभव हो ।</p> <p>टिप्पणी : प्रतिनियुक्ति की अवधि , जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।</p> | | |
|--|--|--|

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
|---|---|---|---------------------------|-----|----------------|----------------|----------------|----------------|--|
| 2. अधिकरण अधिकारी / अनुभाग अधिकारी | 48* (2018) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है । | साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' राजपत्रित, अननुसचिवीय | स्तर- 7 (रु.44900-142400) | चयन | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | तीस प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है ।) सत्तर प्रतिशत प्रतिनियुक्ति जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है ।) /आमेलन द्वारा । |

| (11) | (12) | (13) |
|--|---|-------------------------|
| <p>(i) प्रोन्नति:</p> <p>सशस्त्र बल अधिकरण की किसी भी पीठ में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6(35400-112400 रु.) या समतुल्य में ऐसे सहायक जिन्होंने पांच वर्ष नियमित सेवा की है और मंत्रालय द्वारा विहित संस्थान से प्रशासनिक या</p> | <p>समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें</p> | <p>लागू नहीं होता ।</p> |

| | | |
|---|--|--|
| <p>न्यायिक या वित्तीय मामलों में दो सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो।</p> <p>टिप्पणी: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक / पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो जहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक / पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p>(ii) प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) / आमेदन :-</p> <p>केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या अधीनस्थ न्यायालय या कानूनी / स्वायत्त निकायों के अधीन कार्यरत पेंशन फायदा लेने वाले ऐसे व्यक्ति :</p> <p>(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या</p> <p>(ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर-5, (29200-92300 रु.) में उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है; और</p> <p>(ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हैं :-</p> <p>(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय की डिग्री; और</p> <p>(ii) कार्मिक प्रशासनिक या न्यायिक कार्य में दो वर्ष का अनुभव है।</p> <p>वांछनीय :विधि में डिग्री।</p> <p>टिप्पणी 1 :पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p>टिप्पणी 2 :प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है), जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी</p> | <p>निम्नलिखित होंगे :-</p> <p>(1) न्यायिक/प्रशासनिक सदस्य, सशस्त्र बल अधिकरण—अध्यक्ष</p> <p>(2) प्रधान रजिस्ट्रार (प्रधान पीठ) सशस्त्र बल अधिकरण या रजिस्ट्रार-सदस्य</p> <p>(3) रक्षा मंत्रालय में सशस्त्र बल अधिकरण का भार साधक अवर सचिव - सदस्य</p> | |
|---|--|--|

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
|----------------|---|---|----------------------------------|-----|---|---|----------------|---|--|
| 3.सहायक | 31* (2018) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। | साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' अराजपत्रित, अनुसचिवीय | स्तर- 6 (रु.35400-112400 रु.) | चयन | 30 वर्ष से अनधिक (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पणी: आयु सीमा के लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा यथा विज्ञापित की जाएगी। | किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बैचलर डिग्री। | लागू नहीं होता | सीधी भर्ती और प्रोन्नत किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष। | (1) अस्सी प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) / आमेलन द्वारा। (2) बीस प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा। |

| (11) | (12) | (13) |
|---|--|------------------------|
| <p>प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4(25500-81100 रु.) में ऐसे उच्च श्रेणी लिपिक में से जिन्होंने उस श्रेणी में दस वर्ष से अन्यूननियमित सेवा की है और मंत्रालय द्वारा विहित संस्थान से प्रशासनिक या न्यायिक या वित्तीय मामलों में दो सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो।</p> <p>टिप्पणी: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक / पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो जहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक / पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> | <p>समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-</p> <p>(i) न्यायिक/प्रशासनिक सदस्य, सशस्त्र बल अधिकरण—अध्यक्ष</p> | <p>लागू नहीं होता।</p> |

| | | | | | | | | | |
|---|---|--|----------------------------|-----|----------------|----------------|----------------|----------------|---|
| <p>(ii) प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) :- केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या अधीनस्थ न्यायालयों या कानूनी / स्वायत्त निकायों के अधीन पेंशन फायदा लेने वाले ऐसे अधिकारी : (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या अधीनस्थ न्यायालयों में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4, (25500-81100 रु.) में ऐसे उच्च श्रेणी लिपिक जिन्होंने उस श्रेणी में दस वर्ष से अन्यून नियमित सेवा की है ; (i) जिसके पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री है ; और (ii) स्थापन, प्रशासन या लेखा कार्य में दो वर्ष का अनुभव है । टिप्पणी : प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है), जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।</p> | | | | | | | | | |
| <p>(ii) प्रधान रजिस्ट्रार (प्रधान पीठ) सशस्त्र बल अधिकरण या रजिस्ट्रार, सशस्त्र बल अधिकरण है —सदस्य (iii) रक्षा मंत्रालय में सशस्त्र बल अधिकरण का भार साधक अवर सचिव —सदस्य समूह (ख) विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- (i) न्यायिक/प्रशासनिक सदस्य सशस्त्र बल अधिकरण —अध्यक्ष (ii) प्रधान रजिस्ट्रार (प्रधान पीठ) सशस्त्र बल अधिकरण या रजिस्ट्रार सशस्त्र बल अधिकरण —सदस्य (iii) रक्षा मंत्रालय में सशस्त्र बल अधिकरण का भार साधक अवर सचिव —सदस्य</p> | | | | | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| 4. निजी सचिव | 12* (2018) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन | साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' राजपत्रित, | स्तर- 7 (44900-142400 रु.) | चयन | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक |

| | | | | | | | | | |
|---|------------------|-----------|--|--|---|--|--|------------------------|-----------------------------------|
| | किया जा सकता है। | अनुसचिवीय | | | | | | | संविदा भी है।) / आमेलन द्वारा। |
| (11) | | | | | (12) | | | (13) | |
| <p>प्रोन्नति: सशस्त्र बल अधिकरण में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6(35400-112400 रु..) में ऐसे आशुलिपिक/अधिकरण मास्टर जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्षनियमित सेवा की है और मंत्रालय द्वारा विहित संस्थान से प्रशासनिक / सचिवालयिक मामलों में दो सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो।</p> <p>टिप्पणी: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक / पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो जहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक / पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p>(ii) प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) / आमेलन :- केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या अधीनस्थ न्यायालयों या कानूनी / स्वायत्त निकायों पेंशन फायदा लेने वाले ऐसे आशुलिपिक :</p> <p>(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या</p> <p>(ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6, (35400-112400 रु.) के पद पर में उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है।</p> <p>टिप्पणी 1 : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p>टिप्पणी 2 : प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है), जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं</p> | | | | | <p>समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-</p> <p>(i) न्यायिक/प्रशासनिक सदस्य, सशस्त्र बल अधिकरण —अध्यक्ष</p> <p>(ii) प्रधान रजिस्ट्रार (प्रधान पीठ) सशस्त्र बल अधिकरण या रजिस्ट्रार, सशस्त्र बल अधिकरण जिसे अध्यक्ष सशस्त्र बल अधिकरण द्वारा नामनिर्देशित किया गया है - सदस्य</p> <p>(iii) रक्षा मंत्रालय में सशस्त्र बल अधिकरण का भार साधक अवर सचिव - सदस्य</p> | | | <p>लागू नहीं होता।</p> | |

| | | |
|-------|--|--|
| होगी। | | |
|-------|--|--|

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
|---|---|---|-------------------------------|-----|----------------|----------------|----------------|---|---|
| 5. अधिकरण मास्टर (आशुलिपिक श्रेणी-I) | 31* (2018) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। | साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' अराजपत्रित, अनुसचिवीय | स्तर- 6 (रु.35400-112400 रु.) | चयन | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | प्रोन्नत किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष। | प्रोन्नति, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है।) / आमेलन द्वारा। |

| (11) | (12) | (13) |
|---|---|------------------------|
| <p>प्रोन्नति: सशस्त्र बल वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4,(25500-81100 रु.) में ऐसे आशुलिपिक (श्रेणी- II) जिन्होंने उस श्रेणी में दस वर्ष से अन्यून नियमित सेवा की है और मंत्रालय द्वारा विहित संस्थान से प्रशासनिक / सचिवालयिक मामलों में दो सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो।</p> <p>टिप्पणी: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक / पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो जहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक / पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p>(ii) प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) केन्द्रीय सरकार या सशस्त्र बलों या राज्य सरकार या उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या जिला न्यायालयों या कानूनी / स्वायत्त निकायों में पेंशन फायदा लेने वाले ऐसे आशुलिपिक :</p> | <p>समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-</p> <p>(i) न्यायिक/प्रशासनिक सदस्य, सशस्त्र बल अधिकरण —अध्यक्ष</p> <p>(ii) प्रधान रजिस्ट्रार (प्रथम पीठ) सशस्त्र बल अधिकरण या रजिस्ट्रार, सशस्त्र बल अधिकरण जिसे अध्यक्ष सशस्त्र बल अधिकरण द्वारा नामनिर्देशित किया गया है —सदस्य</p> | <p>लागू नहीं होता।</p> |

| | | |
|--|---|--|
| <p>(क) (i) जोमूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या</p> <p>(ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4, (25500-81100 रु.) के पद पर में उस श्रेणी में दस वर्ष नियमित सेवा की है।</p> <p>टिप्पणी 1 : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा पर है) पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p>टिप्पणी 2 : प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है), जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी</p> | <p>(iii) रक्षा मंत्रालय में सशस्त्र बल अधिकरण का भार साधक अवर सचिव —सदस्य</p> | |
|--|---|--|

[फा.सं. 4(1)/2010-डी (ए.एफ.टी.सी)]

एम. सुब्बारायन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 23rd April, 2018

S.R.O. 05(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 13 read with clause (e) of sub-section (2) of section 41 of the Armed Forces Tribunal Act, 2007 (55 of 2007), the Central Government hereby makes the following rules, regulating the method of recruitment to Group 'B' posts in the Armed Forces Tribunal, Ministry of Defence, namely:-

- Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Armed Forces Tribunal (Group-B Gazetted and non-Gazetted posts) Recruitment Rules, 2018.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- Number of posts, classification, level in the pay matrix.**— The number of the said posts, their classification, and the level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedules annexed to these rules.

3. **Methods of recruitment, age-limit, qualifications, etc.-** The method of recruitment to the said posts, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Scheduled.
4. **Disqualification.** - No person, –
- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted marriage with any other person, shall be eligible for appointment to the said posts:
- Provided that the Central Government may, if satisfied, that such marriage is permissible under the personal law applicable to such persons and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.
5. **Power to relax.** - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
6. **Saving.** - Nothing in these rules shall affect reservations, relaxations of age-limits and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

| Name of the post | Number of post | Classification | Level in the pay matrix | Whether selection post or non-selection post | Age-limit for direct recruits | Educational and other qualifications required for direct recruits | Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees | Period of probation, if any. |
|-----------------------------------|--|--|----------------------------|--|-------------------------------|---|--|------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1. Assistant Registrar (Protocol) | 01* (2018) *subject to variation depended on workload | General Central Service, Group 'B', Gazetted Non-Ministerial | Level 9 (Rs. 53100-167800) | Not applicable | Not applicable | Not applicable | Not applicable | Not applicable |

| Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods | In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grades from which promotion or deputation or absorption, to be made | If a departmental promotion committee exists what is its composition | Circumstances in which U.P.S.C is to be consulted in making recruitment |
|--|---|--|---|
| (10) | (11) | (12) | (13) |
| By Deputation (Including Short | Deputation (Including Short Term Contract)- | Not applicable | Not applicable |

| | | | |
|-----------------|--|--|--|
| Term Contract). | <p>Officers working under Central Government or State Government or Supreme Court or High Court or Subordinate Courts or Statutory / Autonomous bodies having pensionary benefits:</p> <p>(a) holding (i) analogous post on regular basis in parent cadre or department; or (ii) post in level 8 of the pay matrix (Rs. 47600-151100) with two years regular service in the grade, or (iii) post in level 7 of the pay matrix (Rs. 44900-142400) with three years regular service in the grade; and</p> <p>(b) Essential: possessing the following educational qualifications and experience, namely (i) degree of a recognized University or equivalent.; and (ii) having 2 years experience in protocol related work. Desirable: Degree in Law and having experience in protocol work</p> <p>Note : The period of deputation including the period of deputation in another ex cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central government shall ordinarily not exceed three years and the maximum age-limit for deputationist shall not be exceeding the age of 56 years on the last date of receipt of applications.</p> | | |
|-----------------|--|--|--|

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|--|--|----------------------------|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 2. Tribunal Officers/ Section Officers | 48* (2018) *subject to variation depended on workload | General Central Service, Group 'B', Gazetted Non-Ministerial | Level 7 (Rs. 44900-142400) | Selection | Not applicable | Not applicable | Not applicable | Not applicable |

| (10) | (11) | (12) | (13) |
|---|---|--|----------------|
| <p>(i) 30% by Promotion, failing which by deputation (Including Short Term Contract), and</p> <p>(ii) 70% by Deputation (Including Short Term Contract) / absorption.</p> | <p>(i) Promotion - Assistant with five years regular service in level 6 of the pay matrix (Rs. 35400-112400) or equivalent and having successfully completed 2 weeks training in Administrative or Judicial or Financial matters, from the institute to be prescribed by the Ministry. Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>(ii) Deputation (Including Short Term Contract) / Absorption - Persons working under Central Government or State Government or Supreme Court or High Court or</p> | <p>Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of: - (i) Judicial / Administrative Member, Armed Forces Tribunal – Chairperson; (ii) Principal Registrar (PB) AFT or Registrar AFT - Member; (iii). Under Secretary in charge</p> | Not applicable |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | <p>Subordinate Courts or Statutory / Autonomous bodies having pensionary benefits.</p> <p>(a) Holding</p> <p>(i) analogous post on regular basis in parent cadre or department; or</p> <p>(ii) post in the level 5 of the pay matrix (Rs. 29200-92300) with five years regular service in the grade, and</p> <p>(b) possessing the following educational qualifications and experience:</p> <p>(i) Degree of a recognized University; and</p> <p>(ii) Having 2 years experience in personnel, administrative or judicial work.</p> <p>Desirable: Degree in Law</p> <p>Note 1: The departmental officer in the feeder grade who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation.</p> <p>Note 2: The period of deputation including the period of deputation in another ex cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central government shall ordinarily not exceed 3 years. The maximum age limit for deputationist shall not be exceeding the age of 56 years on the last date of receipt of applications.</p> | of Armed Forces Tribunal in the Ministry of Defence- Member. | |
|--|--|--|--|

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
|---------------------|--|--|----------------------------|-----------|--|--|----------------|--|---|
| 3. Assistant | 31* (2018) *subject to variation depended on workload | General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted Ministerial | Level 6 (Rs. 35400-112400) | Selection | Not exceeding 30 years relaxable for Govt. Servant up to 5 years in accordance with the instructions or Orders issued by the Central Govt. Note: The crucial date for age-limit shall be as advertised by SSC. | Bachelor's Degree from a recognised University | Not applicable | Two years for promotees and Direct Recruitment | (1) 80 per cent by promotion failing which by Deputation (Including Short Term Contract) / absorption (2) 20 per cent by Direct Recruitment. |

| (11) | (12) | (13) |
|---|---|----------------|
| <p>Promotion from amongst the Upper Division Clerks in level 4 in pay matrix (25500-81100) who have rendered not less than 10 years regular service in the grade and having successfully completed 2 weeks training in Administrative or Judicial or Financial matters from the institute to be prescribed by the Ministry.</p> <p>Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> | <p>Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of: -</p> <p>(i) Judicial / Administrative Member, Armed Forces Tribunal - Chairperson;</p> <p>(ii) Principal Registrar (PB) AFT/ Registrar AFT-Member;</p> <p>(iii) Under Secretary in charge of Armed Forces Tribunal in the Ministry of Defence- Member.</p> | Not applicable |

| | | |
|---|--|--|
| <p>Deputation (Including Short Term Contract): Officials working under Central Government or State Government or Supreme Court or High Court or Subordinate Courts or Statutory / Autonomous bodies having pensionary benefits</p> <p>(a) (i) holding analogous post on regular basis in parent cadre or department; or (ii) Upper Division Clerks in level 4 of the pay matrix (Rs. 25500-81100) with 10 years regular service in the grade in Central Government or State Government or Supreme Court or High Court or Subordinate Courts.</p> <p>(b). (i) Possessing Degree from recognised University; and (ii) having 2 years' experience in establishment, administration or Accounts.</p> <p>Note: The period of deputation including the period of Deputation (Including Short Term Contract) in another ex cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed 3 years. The maximum age limit for deputationist shall not be exceeding the age of 56 years on the last date of receipt of applications.</p> | <p>Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of: -:</p> <p>(i) Judicial / Administrative Member, Armed Forces Tribunal - Chairperson;</p> <p>(ii) Principal Registrar (PB) AFT/ Registrar AFT-Member;</p> <p>(iii) Under Secretary in charge of Armed Forces Tribunal in the Ministry of Defence- Member.</p> | |
|---|--|--|

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
|-----------------------------|---|--|----------------------------|-----------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|---|
| 4. Private Secretary | 12* (2018) *Subject to variation dependent on workload | General Central Service, Group 'B', Gazetted, Ministerial. | Level 7 (Rs. 44900-142400) | Selection | Not applicable | Not applicable | Not applicable. | Not applicable. | By Promotion , failing which by Deputation (Including Short Term Contract)/ absorption |

| | | |
|------|------|------|
| (11) | (12) | (13) |
|------|------|------|

| <p>Promotion: Stenographers / Tribunal Masters in the Armed Forces Tribunal who have rendered five years regular service in the level 6 of the pay matrix (35400-112400) and having successfully completed 2 weeks training in administrative / secretarial matters from the institute to be prescribed by the Ministry.</p> <p>Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>Deputation (Including Short Term Contract)/Absorption: Stenographer in Central Government or State Government or Supreme Court or High Court or Subordinate Courts or Statutory / Autonomous bodies having pensionary benefits, holding (i) analogous posts on regular basis in parent cadre or department; or (ii) a post in the level 6 of the pay matrix (35400-112400) with five years regular service in the grade.</p> <p>Note 1: The departmental officer in the feeder grade who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation.</p> <p>Note 2: The period of deputation including the period of deputation (Including Short Term Contract) in another ex cadre post held immediately preceding the appointment in the same or some other organisation or Department of the Central government shall ordinarily not exceed 3 years. The maximum age limit for appointment by deputation or absorption shall not exceed 56 years as on the closing date of receipt of application.</p> | | | | | | | | Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of: - | Not applicable |
|--|---|--|----------------------------|-----------|----------------|----------------|----------------|--|---|
| | | | | | | | | (i) Judicial/Administrative Member, Armed Forces Tribunal- Chairperson ; | |
| | | | | | | | | (ii) Principal Registrar (PB) AFT or Registrar AFT to be nominated by Chairperson, AFT - Member ; | |
| | | | | | | | | (iii) Under Secretary in charge of Armed Forces Tribunal in the Ministry of Defence- Member . | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| 5. Tribunal Master (Stenographer Grade 'I') | 31* (2018)* Subject to variation dependent on work load | General Central Services, Group 'B', Non-Gazette Ministerial | Level 6 (Rs. 35400-112400) | Selection | Not applicable | Not applicable | Not applicable | Two years for promotees | Promotion, failing which by deputation (Including Short Term Contract) / absorption |

| (11) | (12) | (13) |
|---|---|------------------------|
| <p>Promotion: Stenographers Grade 'II' in the Armed Force Tribunal who have rendered not less than 10 years regular service in level 4 in the pay matrix (25500-81100) and having successfully completed 2 weeks training in administrative / secretarial matters from the institution to be prescribed by the Ministry.</p> <p>Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>Deputation (Including Short Term Contract): Stenographers of the Central Government or Armed Forces or State Government or Supreme Court or High Court or District Courts or Statutory / Autonomous bodies having pensionary benefits holding</p> <p>(i) the analogous post on regular basis in parent cadre or department; or</p> <p>(ii) post in the level 4 of the pay matrix (Rs. 25500-81100) with 10 years regular service in the grade.</p> <p>Note 1: The departmental officer in the feeder grade who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on Deputation (Including Short Term Contract)</p> <p>Note 2: The period of deputation including the period of Deputation (Including Short Term Contract) in another ex-cadre post held immediately preceding the appointment in the same or some other organisation or Department of the Armed Forces Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for recruitment by Deputation (Including Short Term Contract) / absorption shall not exceed 56 years as on the closing date of receipt of application.</p> | <p>Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of: -</p> <p>(i) Judicial / Administrative Member, Armed Forces Tribunal – Chairperson;</p> <p>(ii) Principal Registrar (PB) AFT or Registrar AFT to be nominated by Chairperson, AFT - Member;</p> <p>(iii) Under Secretary in charge of Armed Forces Tribunal in the Ministry of Defence- Member.</p> | <p>Not applicable.</p> |

[F. No. 4(1)/2010-D(AFTC)]

M SUBBARAYAN, Jt. Secy.

RAKESH SUKUL

Digitally signed by RAKESH
SUKUL
Date: 2018.05.01 19:28:22 +05'30'

No.4(1)/2010-D(AFTC)
Government of India
Ministry of Defence

Room No.308-A, B-Wing,
Sena Bhawan, New Delhi
Date- 21 August, 2019

CORRIGENDUM

Subject: Correction/Amendment in the Armed Forces Tribunal (Group-A Posts) Recruitment Rules, 2018.

In partial modification of this Ministry's Notification of S.R.O. No.04(E) dated 23.04.2018, the Column No. 4 of Serial No.7 of Schedule of the Armed Forces Tribunal (Group-A posts) Recruitment Rules, 2018, may be read as "Level-11 (Rs.67700-208700)" instead of "Level-11 (Rs.67100-208700)".

2. This issues with the approval of competent authority.


PB/rev
21/8/19

(Poornima Rajendran)

Deputy Secretary to the Government of India

☎-23011593

- ✓ 1. Principal Registrar (I/C), AFT(PB)
- 2. JS(Pers), Deptt. of Expenditure, New Delhi
- 3. SO to Defence Secretary
- 4. Financial Advisor(Defence)
- 5. PPS to JS(E), MoD
- 6. D(Coord)/MoD



DA/CA/AM/JS A-2
on
23/9/19